न्यायालयीन प्रकरण / महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
--------00--------

क्रमांक एफ 6–196 / न्या.प्र. / 2024 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दि0 / 11 / 2024
27 NOV 2024

प्रति,

कुलसचिव / प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय,
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय,
(उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत),
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2024 के परिपालन में **Copta, 2003** के उपबंधों का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु ।

-----00-----

विषयांतर्गत लेख है कि, माननीय मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्वतः सज्ञान लेते हुए दैनिक समाचार पत्र हितवाद में दिनांक 15.11.2024 को प्रकाशित Copta लागू होने के बाद भी तम्बाकू उत्पादों की खूलेआम बिक्री किये जाने के संबंध में जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. पी. आई. एल. क्रमांक 95 / 2024 दायर किया गया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 03 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को बनाया गया है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2024 को पारित आदेश के परिपालन हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 25.11.2024 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक के संदर्भ में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित किया जावें :–

1. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड प्रदर्शित करना) नियमावली, 2009 के नियम 3(1) के अनुसार परिसर के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा। जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि, शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है एवं यह धारा 24 के अंतर्गत 200 रूपये जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध है।
2. छत्तीसगढ़ के समस्त शैक्षिक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि, संस्था परिसर सीमा के 100 मीटर के अन्दर कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान नहीं है। उक्त संबंध में प्रमाण पत्र देगें तथा उक्त प्रमाण पत्र को अपने महाविद्यालय की वेबसाइड पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
3. जिस विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के 100 गज (जो कि लगभग 100 मीटर है) के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान है। तो तत्काल एस.डी.एम को पत्र लिखे और सुनिश्चित करें कि विधि के अनुसार उसे तत्काल हटाया गया है अथवा नहीं। जिस

क्रमशः.....

महाविद्यालय के 100 गज की दूरी में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान है। वे संस्था तत्काल उक्त विषय की जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय को भी प्रेषित करेंगे।

4/ उपरोक्त संदर्भ में दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत करावें।

27/11/24

(फबिओला बड़ा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 6–196/न्या.प्र./2024/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दि0 27/11/2024 27 NOV 2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रतिपालनार्थ हेतु सूचनार्थ।

27/11/24

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग